The consolidated project proposal can be firmed up only on receipt of full details from the Maritime States.

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

1888. **श्री अजीत जोगी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक राष्ट्रीय पुनर्वास नीति तैयार कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास संबंधी किन-किन प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य किया गया है; और

(ङ) क्या प्रस्तावित नई नीति को सरदार सरोवर और नर्मदा परियोजना जैसे प्रमुख परियोजनाओं के कार्य सम्पादन के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु क्रियान्वित किया जायगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० वी० रंगैया नायडू): (क) से (ग) इस समय कोई भी राष्ट्रीय पुनर्वास नीति नहीं है । विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करना परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । तथापि, जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाने के वास्ते उपाय प्रारंभ किए गए हैं जिसके लिए विभिन्न तथ्यों और संबद्ध पहलुओं पर उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय जल बोर्ड की उप समिति द्वारा नीति का एक मसौदा तैयार किया है । राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई मसौदा नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की तीसरी बैठक की कार्यसूची में शामिल की गई है ।

(घ) परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास एक जारी प्रक्रिया है । कुछ वृहद जल संसाधन परियोजनाओं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्स्थापन कार्य किया जा रहा है, में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं ऊपरी कृष्णा परियोजना (कर्नाटक), सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र) माजलगांव, भोमा, कुवाड़ी, कृष्णा, अपर पेनगंगा और नांदूर मधमेश्वर परियोजनाएं (महाराष्ट्र) बाणसागर, राजघाट, भंवर तालाब और कोलार परियोजनाएं (मध्य प्रदेश), रेंगाली एवं ऊपरी कोलाब परियोजनाएं (उड़ीसा), कुटियाडी परियोजना (केरल) और पर्च बांध परियोजना (पंजाब) ।

(ङ) इस संबंध में प्रचलित नीति के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपाय क्रियान्वित करने के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को आवश्यक निदेश जारी किए जाते हैं ।

Sardar Sarovar Project

1889. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the recent report of the Dam Safety Panel on Sardar Sarover Projec (SSP) has pointed out certain serious technical and geological problems;

(b) if so, what is the composition of this Panel and the details of the technical and geological problems detected by it and what are the main recommendations of the panel; and

(c) what steps Government have taken or propose to take to overcome these technical and geological problems?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) No, Sir. All aspects of the damage to the stilling